वाटरशेड परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 की व्यापक संशोधन सूची (22.09.11 तक)

चैप्टर/ प्रस्तर सं0	समान मार्गनिर्देश के अनुसार विवरण	संशोधन के बाद मदें निम्नानुसार पढी जायें
प्रस्तर 9	**बहु स्तरीय पद्धतिः**	**बहु स्तरीय पद्धतिः**
9.ix	इसमें एक बहु – स्तरीय शिखर से घाटी की ओर क्रमबद्ध पद्धति होगी, जिसे वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाना चाहिए। ऊपरी स्थान या वन वास्तव में वे स्थान हैं जहां से जल स्त्रोतों का उद्गम होता है। अतः इस पद्धति के अंतर्गत ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में जहां संभव हो, ऐसे क्षेत्र का पता लगाया जाना होगा और इसके लिए सबसे पहले वन तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, या राज्य वन कार्यक्रमों या अन्य स्त्रोतों की सहायता से उपयुक्त विकास कार्य शुरू किये जाने पर ही वाटरशेड के सबसे कठिन भाग का कार्य पूरा हो सकेगा। वन विभाग वनों के कटाव तथा अवक्रमण को रोकने के लिए रोक बांधों, समोच्च बांधों आदि जैसी संरचनाओं के प्रबंधन में लगा हुआ है, जिससे वास्तव में निचले स्तरों को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार ऊपरी स्थानों, जो अधिकांशतया पहाड़ी और वनीय हैं, में कार्यान्वयन की जिम्मेवारी मुख्यतया वन विभागों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे0एफ0एम0सी0) की होगी। दूसरा स्तर मध्यवर्ती स्तर या ढलान वाले क्षेत्र हैं, जो कृषि भूमि के ठीक ऊपर होते हैं। मध्यवर्ती ढलानों में वाटरशेड प्रबंधन पद्धति से भूमि को विकसित करने, फसल पद्धति, बागवानी, कृषि वानिकी आदि सहित सभी संभव सर्वोत्तम विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक मुद्दों का समाधान होगा। जहां तक मैदानी तथा समतल क्षेत्रों के तीसरे स्तर का संबंध है, जहां पर विशिष्ट रूप से किसान कार्य करते हैं, वहाँ पर मुख्यतया श्रम प्रधान कार्यों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन0आर0ई0जी0एस0), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0), से इनमें कारगर समन्वय करते हुए सहायोजित किया जाएगा।	इसमें एक बहु–स्तरीय शिखर से घाटी की ओर क्रमबद्ध पद्धति होगी, जिसे वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाना चाहिए। ऊपरी स्थान या वन वास्तव में वे स्थान हैं जहां से जल स्त्रोतों का उद्गम होता है। अतः इस पद्धति के अंतर्गत ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में जहां संभव हो, ऐसे क्षेत्र का पता लगाया जाना होगा और इसके लिए सबसे पहले वन तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। जब उपरी संग्रहण क्षेत्र वन क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजनाओं की वित्त–पोषण की सहायता से उपयुक्त उपचार किया जाता है तो वाटरशेड के सबसे कठोर हिस्से का समाधान किया जाता है। इस प्रकार ऊपरी स्थानों, जो अधिकांशतया पहाड़ी और वनीय हैं, में कार्यान्वयन की जिम्मेवारी मुख्यतया वन विभागों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे0एफ0एम0सी0) की होगी। वनों के प्रकार के बावजूद, कृषि/परती भूमि तथा वन भूमि उपयोग वाले चयनित वाटरशेड परियोजना क्षेत्र के अभिन्न हिस्से के रूप में, सीमांत वन क्षेत्र तथा अवक्रमित क्षेत्रों को उपचार की जरूरत होती है जिनका वाटरशेड के निचले–क्षेत्रों में अप्रवाह/जल प्राप्ति, मृदा अपरदन और गाद, चारागाह, आदि पर प्रभाव पड़ता है और मृदा व नमी संरक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए होलिस्टिक वाटरशेड उपचार योजना का हिस्सा होना चाहिए । ऐसे वन क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण आईडब्ल्यूएमपी योजना के जरिए किया जा सकता है ताकि किए गए निवेश का पूरा लाभ उठाया जा सके । वन क्षेत्रों के उपचार के लिए आईडब्ल्यूएमपी सहित मनरेगा, वनरोपण योजनाओं, आदि में सामंजस्य पैदा करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए । *(भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0 एस–21011/1/2009–डीडीपी दिनांक 05.07.11 द्वारा सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया है ।)*
4.,	**राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं**	**राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं**
4.5/	**जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डीए0)**	**वाटरशेड प्रकोष्ठ–सह–आंकडा केन्द्र (डब्ल्यू0सी0डी0सी0)**

प्रस्तर 29	उन जिलों में, जहॉ पर वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 25,000 हैक्टेयर है जिला स्तर पर एक पृथक समर्पित इकाई, जिसे जिला वाटरशेड विकास ईकाई (डी0डब्ल्यू0डी0यू0) कहा जाएगा, स्थापित की जायगी, जो प्रत्येक जिले में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखेगी और इस प्रयोजन के लिए उसका एक अलग स्वतंत्र खाता होगा। जहॉ वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 25000 हैक्टेयर से कम है, वहां परियोजनाएं मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाएंगी। तथापि ऐसे मामलों में जिला स्तर पर वाटरशेड परियोजनाओं के समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अंतर्गत अनन्य रूप से एक अधिकारी को संविदा आधार पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डी0यू0) जिला आयोजना समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय से कार्य करेगी। जिला वाटरशेड विकास इकाई में जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन0आर0ई0जी0ए0) तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) की कार्यान्वयन एजेंसियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। विकल्प के रूप में, जिला स्तरीय समिति/कलेक्टर द्वारा परियोजना के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है	जिला स्तर पर वाटरशेड प्रकोष्ठ–सह–आंकडा केन्द्र (डब्ल्यूसीडीसी) नामक एक पृथक इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए पृथक स्वतंत्र लेखे होंगे । इसे राज्य सरकारों की सुविधानुसार सभी कार्यक्रम जिलों में डीआरडीए /जिला परिषद/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी/ विभाग में स्थापित किया जाएगा और यह 25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले बडी संख्या में वाटरशेडों का कार्यान्वयन करने वाले जिलों में व्यावसायिक समर्थन से सुदृढ. होगा । डब्ल्यूसीडीसी जिला योजना समिति के घनिष्ठ समन्वय से कार्य करेगा। जिला कलेक्टर /सी0ई0ओ, जिला परिषद को डब्ल्यू0सी0डी0सी0 के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा तथा विभाग, जिसमें डब्ल्यू0सी0डी0सी0 स्थित है, के जिला स्तर के अधिकारी को डब्ल्यूसीडीसी का परियोजना प्रबंधक कहा जाएगा । परियोजना प्रबंधक अपने क्षेत्राधिकार में डब्ल्यू0सी0डी0सी0 के दैनिक कार्य तथा वाटरशेड कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देखेगा, जबकि जिला कलेक्टर/सी0ई0ओ0, जिला परिषद कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा सहित समन्वय और सुमेलीकरण करने में भूमिका निभाएगा। जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा, बी0आर0जी0एफ0 कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधियों को सुमेलीकरण हेतु कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए। (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ., झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में आई0ए0पी0 जिलों के लिए जिला कलेक्टर डब्ल्यू0सी0डी0सी0 का अध्यक्ष होगा।) *(भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0 जेड –11011/11/2010 – पीपीसी दिनांक 19.09.11 द्वारा सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया है।)*
प्रस्तर 30	जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डी0यू0) एक पृथक इकाई होगी जिसमें पूर्णकालिक परियोजना प्रबंधक तथा कृषि/जल प्रबंधन/सामाजिक संघटन/ प्रबंधन तथा लेखा के 3 से 4 विषय–वस्तु विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्हें उनकी योग्यता तथा विशेषज्ञता के आधार पर संविदा/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण आदि के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक,	डब्ल्यू0सी0डी0सी0 एक पृथक इकाई होगी जिसमें एक परियोजना प्रबंधक होगा तथा कृषि/जल प्रबंधन/सामाजिक संघटन/ अन्य उचित/ प्रबंधन एवं लेखा के रूप में विषय से संबंधित 3 से 6 पूर्णकालिक स्टाफ शामिल होंगे (25,000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम वाले जिलों में 3 तथा 25,000 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र से अधिक वाले जिलों में 6), तथा डॉटा एंट्री ऑपरेटर को उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर संविदा/

	डी0डब्ल्यू0डी0यू0 प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी अधिकारी होगा या उसकी भर्ती पारदर्शी प्रकिया के माध्यम से खुले बाजार से की जाएगी। यदि वह सेवारत सरकारी है तो उसकी तैनाती राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यदि भर्ती खुले बाजार से किया जाना आवश्यक हो तो यह कार्य एस0एल0एन0ए0 द्वारा किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक, डी0डब्ल्यू0डी0यू0 (तीन वर्षो से अन्यून अवधि के लिए) एस0एल0एन0ए0 के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें सुनिर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का उल्लेख किया जाएगा, जिनके आधार पर उसके कार्य–निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाएगी। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डी0यू0)/जिला ऑकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा इन्हें सुदृढ़ बनाने संबंधी व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कर्मचारी, अवसंरचना तथा वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा के पश्चात भारत सरकार द्वारा की जाएगी।	प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण आदि पर नियुक्त किया जाएगा। डब्ल्यू0सी0डी0सी0 जिस विभाग में स्थित है वहां का जिला स्तर का अधिकारी परियोजना प्रबंधक होगा। परियोजना प्रबंधक डब्ल्यू0सी0डी0सी0, एस0एल0एन0ए0 के परामर्श से एक सुव्यवस्थित वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा जिसके आधार पर उसके कार्य–निष्पादन की लगातार निगरानी की जाएगी। डब्ल्यू0सी0डी0सी की स्थापना करने/उसके सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध स्टाफ, आधारभूत ढांचे और वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा के उपरान्त भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
4.5	**जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डी0ए0)**	**वाटरशेड प्रकोष्ठ–सह–आंकडा केन्द्र (डब्ल्यू0सी0डी0सी0)**
प्रस्तर 31	**जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी0डब्ल्यू0डी0यू0) के कार्य निम्नानुसार होंगे:**	**वाटरशेड प्रकोष्ठ–सह–आंकडा केन्द्र (डब्ल्यू0सी0डी0सी0) के कार्य निम्नानुसार होंगे:**
क	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सूची बनाने की प्रकिया के अनुसार एस0एल0एन0ए0 के साथ परामर्श से संभावित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सूची बनाने की प्रकिया के अनुसार जिला परिषद/जिला पंचायत/जिला कॉउन्सिल के साथ परामर्श से संभावित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना।
5	**परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं**	**परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं**
5.1	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी0आई0ए0)**	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी0आई0ए0)**
प्रस्तर 34	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस0एल0एन0ए0) उन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी0आई0ए0) के चयन तथा अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रकिया तैयार करेगी, जो विभिन्न जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। इन परियोजना कर्यान्वयन एजेंसियों में राज्य/केन्द्र सरकार के अंतर्गत संगत समनुरूप विभागों, स्वायत्त संगठनों, सरकारी संस्थानों/अनुसंधान निकायों, मध्यवर्ती पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों (वी0ओ0) को शामिल किया जा सकता है। तथापि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:– • उन्हें अधिमानतः वाटरशेड संबंधित पहलुओं या वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में पूर्व अनुभव होना चाहिए। • उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों के	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस0एल0एन0ए0) उन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी0आई0ए0) के चयन तथा अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रकिया तैयार करेगी, जो विभिन्न जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य/केन्द्र सरकार के अंतर्गत संगत समनुरूप विभागों, स्वायत्त संगठनों, सरकारी संस्थानों/अनुसंधान निकायों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों (वी0ओ0) को शामिल किया जा सकता है। तथापि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:– • उन्हें अधिमानतः वाटरशेड संबंधित पहलुओं या वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में पूर्व अनुभव होना चाहिए। • उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों के

	गठन के लिए तैयार होना चाहिए।	गठन के लिए तैयार होना चाहिए।
6	**ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी**	**ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी**
6.3	वाटरशेड **समिति (डब्ल्यू0सी0) (WC)**	**वाटरशेड समिति (डब्ल्यू0सी0) (WC)**
प्रस्तर 44	ग्राम सभा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू0सी0) गठित करेगी। वाटरशेड समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना होगा। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/नियुक्त कर सकती है। वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्ता होगा। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गॉव में स्व–सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल हों, वहां वे संबंधित गॉव में वाटरशेड विकास परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गॉव के लिए एक पृथक उप–समिति गठित करेंगे। जहॉ एक वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल होंगी वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से समितियां गठित की जाएंगी। वाटरशेड समिति को किराए पर एक स्वतंत्र कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।	ग्राम सभा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू0सी0) गठित करेगी। वाटरशेड समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना होगा। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/नियुक्त कर सकती है। वाटरशेड समिति का सचिव वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्ता होगा। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गॉव में स्व–सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। निधियां डब्ल्यू0सी0 को जारी की जा सकती हैं। वैकल्पिक तौर पर, वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा (जीएस) द्वारा किया जायेगा और यह ग्राम पंचायत की उपसमिति होगी। ऐसी स्थिति में, डब्ल्यूसी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। निधियां डब्ल्यूसी को जारी की जाएंगी। राज्य उपर्युक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक को अपना सकते हैं। जहां पंचायत में एक से अधिक गांव हैं, वहां संबंधित गांव में वाटरशेड विकास परियोजना का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक गांव हेतु एक पृथक उप समिति का गठन किया जा सकता है। जहां किसी वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक ग्राम पंचायतें हैं तो वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पृथक समितियों का गठन किया जाएगा। वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) में किराए पर एक स्वतंत्र कार्यालय आवास उपलब्ध करवाया जायेगा।
प्रस्तर 45	वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजनाओं के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलेगी और इस निधि को अपने कार्यकलापों को करने के लिए उपयोग में लाएगी। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों तथा वाटरशेड समिति के सचिव के वेतनों संबंधी व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को व्यवसायिक सहायता के	वाटरशेड समिति को धन अवमुक्त किया जा सकता है। वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजनाओं के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलेगी और इस निधि को अपने कार्यकलापों को करने के लिए उपयोग में लाएगी। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों और वाटरशेड समिति के सचिव के वेतन संबंधी व्यय

	अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद में से प्रभारित किया जाएगा।	को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को व्यावसायिक सहायता के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद में से प्रभारित किया जाएगा।
9	**निधियों का आवंटन, परियोजनाओं को अनुमोदित करना तथा निधियाँ जारी करना**	**निधियों का आवंटन, परियोजनाओं को अनुमोदित करना तथा निधियाँ जारी करना**
9.1	**राज्यों को निधियों का आवंटन**	**राज्यों को निधियों का आवंटन**
प्रस्तर 66	प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक, राज्य चल रही प्रतिबद्ध देयताओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं जिन्हें वे शुरू करना चाहतें हैं, को दर्शाते हुए विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् विभाग की केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी वर्ष के लिए उपलब्ध कुल बजट तथा पैरा 64 और 65 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर उन राज्यों जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए है, को अलग–अलग विशिष्ट राशियाँ आबंटित करेगी। राज्यों द्वारा चल रही तथा नई परियोजनाओं के लिए अपना आवंटन प्राप्त करने के पश्चात्, वे राज्य आवंटन के भीतर अपनी परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) से नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर नोडल मंत्रालय जिला स्तरीय एजेंसी को सीधे निधियाँ जारी करेगा। तथापि, यदि जिला स्तरीय एजेंसी को निधियाँ जारी करना व्यवहार्य न हो, तो विभागीय नोडल एजेंसियों की निधियाँ जारी करने की मौजूदा प्रकिया जारी रह सकती है।	प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक, राज्य चल रही प्रतिबद्ध देयताओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं जिन्हें वे शुरू करना चाहते हैं, को दर्शाते हुए विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् विभाग की केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी वर्ष के लिए उपलब्ध कुल बजट तथा पैरा 64 और 65 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर उन राज्यों जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, को अलग–अलग विशिष्ठ राशियां आबंटित करेगी। राज्यों द्वारा चल रही तथा नई परियोजनाओं के लिए अपना आबंटन प्राप्त करने के पश्चात् वे राज्य आबंटन के भीतर अपनी परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। एस0एल0एन0ए0 से नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर नोडल मंत्रालय सीधे एस.एल.एन.ए. को निधियां जारी करेगा।
प्रस्तर 67		

बजट संघटक	बजट की प्रतिशतता	बजट संघटक	बजट की प्रतिशतता
प्रशासनिक लागत	10	प्रशासनिक लागत	10
–मॉनीटरिंग	1	–मॉनीटरिंग	1
–मूल्यांकन	1	–मूल्यांकन	1
प्रारम्भिक चरण,निम्नलिखित सहित		प्रारम्भिक चरण,निम्नलिखित सहित	
–प्रारम्भिक कार्यकलाप	4	–प्रारम्भिक कार्यकलाप	4
–संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	5	–संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	5
–विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0)	1	–विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0)	1
वाटरशेड कार्य चरण–		वाटरशेड कार्य चरण–	
–वाटरशेड विकास कार्य	50	–वाटरशेड विकास कार्य	56
–गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल) तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप,	10	–गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल) तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप,	9
–उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	13	–उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	10
समेकन चरण	5	समेकन चरण	3
योग	**100**		**100**

प्रस्तर 70	परियोजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के तीनों चरणों के लिए निधियों का केन्द्रीय भाग जिला वाटरशेड विकास इकाईयों (डी0डब्लू0डी0यू0)/एजेंसी को निम्नलिखित पद्धति में अथवा नोडल मंत्रालय द्वारा किए गये निर्णय के अनुसार जारी	परियोजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के तीनों चरणों के लिए निधियों का केन्द्र भाग एस.एल.एन.ए. को निम्नलिखित पद्धति में अथवा नोडल मंत्रालय द्वारा किए गये निर्णय के अनुसार जारी किया जाएगा।

	किया जाएगा।	
प्रस्तर 71	जिला कार्यान्वयन एजेन्सियों/राज्य सरकार को निधियां प्रत्येक जिले से प्राप्त हुए विशिष्ट वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर उनकी चल रही वचनबद्धताओं और स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं तथा जिले के लिए समग्र बजटीय प्रावधान को ध्यान मे रखते हुए और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस0एल0एन0ए0) द्वारा उनकी कार्य योजना को अनुमोदित किये जाने पर सीधे ही जारी की जाएंगी। जिला वाटरशेड विकास इकाईयों (डी0डब्लू0डी0यू0)/ एजेंसियों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों और वाटरशेड समितियों (डब्लू0सी0) को निधियाँ इन्हें प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएंगी।	एस.एल.एन.ए को केन्द्र के धन का निर्गम एस. एल.एन.ए से प्राप्त विशिष्ठ प्रस्तावों के आधार पर सीधे किया जाएगा ।, धन जारी करने का पैटर्न इस प्रकार होगा : i. वाटरशेड निर्माण कार्यों, जीवनयापन तथा उत्पादन प्रणाली और माइक्रो उद्यमों से संबंधित परियोजना निधि भूमि संसाधन विभाग (डी.ओ.एल.आर.) से एस.एल.एन.ए, एस.एल. एन.ए से डब्ल्यू.सी.डी.सी, डब्ल्यू.सी.डी.सी से डब्ल्यू.सी को जाएगी । ii प्रशासनिक लागत, क्षमता निर्माण, ई.पी.ए., डी.पी.आर., परियोजना निधियों का मॉनीटरिंग घटक भूमि संसाधन विभाग से एस.एल.एन.ए, एस.एल.एन.ए से डब्ल्यू.सी.डी.सी., डब्ल्यू.सी.डी. सी. से पी.आई.ए. को जाएगी ।
प्रस्तर 73	वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवो के चयन हेतु एक अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि (डब्लू0डी0एफ0) में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास निधि में अंषदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन0आर0एम0 कार्यो की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान उनकी भूमि पर निष्पादित एन0आर0एम0 कार्यो की लागत का 5 प्रतिशत होगा। तथापि निजी भूमि पर मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि वानिकी, पशु–पालन आदि जैसे अन्य लागत प्रधान कृषि कार्यकलापों, जिनसे किसानों को सीधे ही लाभ प्राप्त होता है, किसानों का अंशदान सामान्य श्रेणी के लिए 40 प्रतिषत तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 20 प्रतिषत होगा तथा कार्यकलापों की शेष लागत अर्थात् सामान्य श्रेणी के लिए 60 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की श्रेणी के लिए 80 प्रतिशत लागत परियोजना निधियों से पूरी की जाएगी परन्तु यह वाटरशेड विकास परियोजना के लिए मानक इकाई लागत मानदण्ड से दोगुनी राशि के बराबर राशि की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी।	वाटरशेड परियोजनाओं के लिए गांवो के चयन हेतु एक अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि (डब्लू0डी0एफ0) में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन0आर0एम0 कार्यो की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान उनकी भूमि पर निष्पादित एन0आर0एम0 कार्यो की लागत का 5 प्रतिशत होगा। ये अंशदान कार्य के निष्पादन के समय नकद रूप में अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में स्वीकार्य होंगे । स्वैच्छिक श्रम के मौद्रिक मूल्य के समतुल्य धनराशि वाटरशेड परियोजना लेखा से वाटरशेड विकास निधि खाते में अंतरित की जाएगी । यह खाता वाटरशेड समिति बैंक खाते से अलग होगा। प्रयोक्ता ख़र्च, बिक्री से आय तथा अन्य अंशदान इन्टरमीडियट यूजुफ्क्ट अधिकारों की निपटान राशियां भी वाटरशेड विकास निधि बैंक खाते में जमा कराई जाएंगी। साझा संपत्ति संसाधनों पर परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों से अर्जित आय भी वाटरशेड विकास निधि में जमा कराई जाएगी ।
प्रस्तर 74	यह अंशदान कार्य के निष्पादन के समय पर नकद रूप में अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वैच्छिक श्रम के मौद्रिक मूल्य के बराबर राशि को वाटरशेड परियोजना लेखे से डब्लू0डी0एफ0 के बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा जो वाटरशेड समिति (डब्लू0सी0) के बैंक खाते से अलग बैंक खाता होगा। प्रयोक्ता	निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्सयपालन, बागवानी, कृषि वानिकी, पशु–पालन इत्यादि जैसे आजीविका संबंधी कार्यकलाप जिससे संबंधित किसानों को सीधे फायदा होता हो उनके लिए सामान्य वर्ग के किसानों का अंशदान 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

	प्रभारों, बिक्री से प्राप्त आय और मध्यवर्ती भोगाधिकारों की निपटान राषियों को भी वाटरशेड विकास निधि के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों पर परियोजना के अंतर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों से अर्जित आय को भी वाटरशेड विकास निधि में जमा कराया जायगा।	लाभार्थियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा तथा परियोजना निधियां वाटरशेड विकास की परियोजना की यूनिट लागत के दुगुने के बराबर धनराशि की अधिकतम सीमा तक (अर्थात् रूपये 12,000/15,000 प्रति हेक्टेयर जैसा भी मामला हो) कृषि प्रणाली कार्यकलाप की लागत को पूरा करेंगी। किसानों का अंशदान अर्थात् सामान्य वर्ग के लिए इस राशि का 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 10 प्रतिशत (अर्थात् सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए कमशः रूपये 4800/6000 तथा रूपये 2400/3000 अधिकतम, जैसा भी मामला हो) वाटरशेड विकास निधि में जाएगा। **उदाहरणतः** **क) मान लिया जाए कि कृषि प्रणाली कार्यकलाप/अंतःक्षेप की कुल लागत है = रूपये 30,000** **परियोजना निधि से दी जाने वाली कृषि प्रणाली कार्यकलाप की लागत (@रूपये 12,000/है0 परियोजना यूनिट लागत)** **(सामान्य वर्ग) = रूपये 24,000** **(अनु.जा/अनु.जनजाति) = रूपये 24,000** **वाटरशेड विकास निधि में किसानों का अंशदान** **(सामान्य वर्ग, 24,000 का 20%) = रूपये 4800** **(अनु.जा/अनु.जनजाति 24,000 का 10%) = रूपये 2400** **ख) मान लिया जाए कि कृषि प्रणाली कार्यकलाप/अंतः क्षेप) = रूपये 20,000** **परियोजना निधि से दी जाने वाली कृषि प्रणाली कार्यकलाप की लागत (@रूपये 12,000/है0 परियोजना यूनिट लागत)** **(सामान्य वर्ग) = रूपये 20,000** **(अनु.जा/अनु.जनजाति) = रूपये 20,000** **वाटरशेड विकास निधि में किसानों का अंशदान** **(सामान्य वर्ग,20000 का 20%) = रूपये 4,000** **(अनु.जा/अनु.जनजाति 20,000 का 10%) =रूपये 2000** ऐसे मामलों में वाटरशेड विकास निधि के प्रति किसानों का अंशदान कार्य–निष्पादन के समय नकद ही स्वीकार किया जाएगा ।